न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/05/2023	2023/351	26.07.2023	22.01.2026

1. रामजीलाल पुत्र बुद्धा जाति जांगिड ब्राह्मण,
2. साधूराम पुत्र बुद्धा जाति जॉगडा ब्राह्मण,
   निवासीयान ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्टस

बनाम

1. डालचन्द पुत्र श्री रामगोपाल जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।

—रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.05.2013 तहसीलदार अलवर।

उपस्थितः—

1. श्री पंकज कुमार शर्मा, उदयसिंह जादोन — अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री पुष्कर राज मुखीजा, कुलदीपचन्द सैनी — अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—ः निर्णय ः—

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर के निर्णय दिनांक 16.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकुलाय की बहस सुनी।

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 230 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 506 वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कटला तहसील अलवर जिला अलवर पर स्थित है जो आराजी अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी है और इस आराजी की बाबत अपीलाण्टान ने एक दावा अदालत ऐ०सी०एम साहब अलवर की अदालत में पेश किया था जहा से उसे खातेदार काश्तकार दिनांक 25.10.1969 को घोषित किया गया और इस फैसला के मुताबिक अपीलाण्टान के हक में दिनांक 31.10.1970 को इन्तकाल दर्ज हो गया और जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2027 ला0 2030 मे दर्ज हो गया उसके उपरान्त रैस्पो० संख्या 1 द्वारा बिना मिन अपीलाण्टान को सूचित किये बाला बाला इकतर्फा में आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम बहादरपुर का पटटा तहसीलदार अलवर से दिनांक 20.01.92 को प्राप्त कर लिया जिसका इल्म अपीलाण्टान को नही होने पर जिसकी जानकारी दिनांक 20.03.1994 को पटवारी हल्का से इस आश्य की प्राप्त हुई कि रैस्पो० संख्या एक के पक्ष मे पटटा जारी हो चुका है जिस पर अपीलाण्ट रामजीलाल द्वारा पटटा की नकल 22.03.94 को प्राप्त की गई जिसकी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.03.94 को पेश कि गई।

माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्टान द्वारा पेश की गई विवादित पटटा की अपील पेश की गई जिसको अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 03.05.2000 को अपीलाण्टान की अपील खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलाण्टान द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष एक अपील संख्या 45/2006 के तहत पेश की गई जिस पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.08 को अपीलाण्ट के पक्ष में इस आदेश के साथ पत्रावली माननीय अदालत तहत मे रिमाण्ड की जाकर आदेश पारित किया गया कि "अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान तहसीलदार कम मैनेजिग अलवर का आदेश दिनांक 20.01.92 व विद्वान कलैक्टर कम सेटिलमैन्ट कमीशनर अलवर का आदेश दिनांक 03.05.2000 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अलवर को इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे"

अदालत तहत द्वारा पूर्व मे भी अपने पारित निर्णय दिनांक 20.01.92 मे अदालत एस डी ओ साहब अलवर के निर्णय का हवाला दिया इस फैसले मे आराजी खसरा नम्बर 227, 244, 246 बरूये राजीनामा अपीलाण्टा ने रैस्पो० संख्याएक को देना स्वीकार किया था और आराजी खसरा नंबर 230 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को मुतनाजा नम्बर है के बारे मे कोई राजीनामा नही किया गया था मगर अदालत तहत द्वारा पूर्व निर्णय भी गत प्रकारसे राजीनामा को गलत रूप से पढकर खसरा नम्बर 230 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बहादपुर तहसील अलवर का पटटा रैस्पो० संख्या 01 के नाम जारी करने का आदेश दिया गया था जो सरासर गलत था जिस आदेश को भी खारिज किया गया था जो तथ्य भी काबिल गौर अदालत श्रीमान् है। अदालत तहत के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट था कि रैस्पो० के पिता रामगोपाल पुत्र श्री श्योलाल को साबिक खसरा नम्बर 142 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा का रकबा था जिसमं से साढे तीन बीघा रामगोपाल को आवंटित की गई जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2017 से होती है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अपीलाण्टान के पिता बुद्धाराम पुत्र रामनारायण को संवत 2013 से 2017 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 142 में से 5 बीघा आराजी आवंटित की गई थी जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2017 सें होंती है। साबिक आरजी खसरा नम्बर 142 के हाल खसरा नम्बर 227 रकबा 2 बिस्वा का है, 229 रकबा 2 बिस्वा का है, 244 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 246 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा 246/908 रकबा 13 बिस्वा बने है । इसी खसरा नम्बर 142 का 237 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 230 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा बने है इसमे से अपीलाण्ट को हाल खसरा नम्बर 237 के रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा ही दर्ज हुआ जबकि 142 जो 5 बीघा होनी चाहिये अर्थात शेष 2 बीघा 19 बिस्वा का पटटा रैस्पोडेण्ट डालचंद ने गलत रूप से ले लिया है। उक्त समस्त रिकार्ड का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली पर मौजूद है, लेकिन अदालत तहत द्वारा कतई गौर नही किया गया। डालचंद के पिता के नाम साबिक खसरा नम्बर 142 की साढे तीन बीघा चढनी चाहिये थी जबकि उसके नाम गलती से 6 बीघा 11 बिस्वा चढ रही है जो गलत है इसमे से अपीलाण्टान के नाम 2 बीघा 19 बिस्वा चढनी चाहिये थी जो रैस्पो० का नाम निरस्त कर अपीलाण्टान के नाम चढाई जावे लेकिन अदालत तहत द्वारा कतई गौर नही किया गया है।

प्रकरण हाजा का मूल बिन्दु हाल खसरा नम्बर 230 के सम्बन्ध मे है, जिसका पुराना खसरा नम्बर 138, 139, 142 वाके ग्राम बहादरपुर पटटा कटला मे स्थित है। इस खसरा नम्बर का पट्टा प्राप्त करने का आवेदन रैस्पो० डालचंद ने दिनांक 30.09.1991 को अदालत तहत मे किया गया जबकि खसरा नम्बर 230 के सम्बन्ध में एक रेवेन्यू वाद अदालत ऐ सी एम न्यायालय अलवरमे चला था उसके निर्णय दिनांक 21.04.1970 के अनुसार खसरा नम्बर 230 का खातेदार मु० चंदरी बेवा बुद्धाराम को धोषित किया था जो अपीलाण्ट की माता थी इसी तथ्य को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2008 मे मान कर पत्रावली अदालत तहत के समक्ष विचारण हेतु रिमाण्ड की है। अदालत तहत में यह तथ्य भी रखा गया था कि उक्त आराजी खसरा नमबर 230 का खातेदारी मु० चन्दी के पक्ष में जारी होना चाहिये था परन्तु तत्कालीन पटवारी ने मु० चन्द्री को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया और ना ही कोई नोटिस जारी किया। रैस्पो० डालचंद ने धोखे से अपने पक्ष में खसरा नम्बर 230 का पटटा जारी करा लिया था जो सरासर गलत है। अदालत एस डी ओ साहब अलवर द्वारा दिनांक 30.10.1969 को एक डिग्री मु० चन्द्री बेवा बुद्धाराम के पक्ष में खसरा नम्बर 230 के समबन्ध मे खातेदार घोषित किया गया थ जिसकी इज्जाय भी दिनांक 25.03.1970 को जारी हुई थी उसमे अपीलाण्ट की माता चन्दरी को खसरा नम्बर 230 का खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। जिस इजराय की पालना में इन्तकाल संख्या 26 मिन अपीलाण्टान की माता चन्दरी के पक्ष में दिनांक 25.03.1970 को चढ़ाया गया था लेकिन रैस्पो० द्वारा मिल्लत करते हुये धोखे से आराजी खसरा नम्बर 230 मे अपना नाम गैर खातेदारी में रह गया है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जिसका उसको कोई अधिकारा हासिल नही हुआ था लेकिन अदालत तहत द्वारा कतई गौर नही कर अहम कानूनी वाकैयाती भूल का परिचय दिया है। अदालत तहत के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट था कि अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के यहा कुछ आराजी खसरा नमबर के बारे मे दुरूस्ती का वाद दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 30.10.1969 मे अदालत ने मु. चन्दरी के पक्ष में खसरा नम्बर 230 के सम्बन्ध में गैरखातेद माना था इसके बाद अदालत एस डी ओ साहब द्वारा मिन अपीलाण्टान की माता को खसरा नम्बर 230 का खातेदार घोषित किया गया था।

तहत अदालत के समक्ष यह तथ्य साफ था कि आराजी खसरा नम्बर 230 जिसका नया नम्बर 506 बना है उसका मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया था उक्त नम्बर पर मिन अपीलाण्टान का कब्जा था लेकिन खसरा नम्बर 306 किस जगह का है, अपीलाण्ट की जानकारी मे नही है ना ही उससे कोई वास्ता वो सरोकार है रैस्पो० डालचंद का हलफनामा व साथ मे गवाहान के पेश हलफनामा मे भी खसरा नमबर 306 का हवाला दिया गया है जो गलत उक्त खसरा नमबर का इस विवादित आराजी से कोई लेना देना नही था। अदालत तहत द्वारा अपने निर्णय में खसरा नंबर 230 पर रैस्पो० की बिजली की मोटर बोरिंग व डीजल इंजन आदि का हवाला भी गलत तरीक पर माना है जबकि रैस्पो० डालचंद की ना तो उक्त आराजी साबिक खसरा नमबर 230 पर कोई मोटर बिजली लगी हुई है यदि कोई बिजली आदि लगी होती तो रैस्पो० को बिजली के बिल पेश करने चाहिये थे लेकिन उसके द्वारा कोई बिल आदि पेश नही किया गया। अदालत तहत की पत्रावली पर पेश दस्तावेजात व नजीरों एवं स्पष्ट था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 230 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा से रैस्पो० का कोई सरोकार सम्बन्ध ना तो था ना ही है लेकिन अदालत तहत द्वारा अपना निर्णय केवल मात्र रैस्पो० के दस्तोजात पर गौर करते हुये विधि विरूद्ध तरीक पर पारित किया गया है जो काबिल खारिज होने योग्य है।

तहसीलदार के समक्ष पक्षकारान ने बयान हलफनामा पेश किये गये थे परन्तु मिन अपीलाण्ट को गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान नही किया गया। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बाद बहस पक्षकारान रैस्पो० द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमीशनर पटवारी की रिपोर्ट के लिये पेश किया गया था। जिस प्रार्थना-पत्र पर बिना अपीलाण्ट के जबाब पेश किये ही, पटवारी से रिपोर्ट बाला बाला मंगवाली। अपीलाण्ट को इस तथ्य की जानकारी हुई तब उसने जबाब भी पेश किया परन्तु बिना बहस ही रैस्पो० का प्रार्थनापत्र मन्जूर फरमाकर पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जो न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो के खिलाफ है। रैस्पो० द्वारा तहसीलदार के समक्ष कब्जा बाबत फोटो ग्राफ पेश किये गये थे जिसमे एक कोठडी व बोरिंग दर्शित की गई है वोह खसरा नम्बर 506/2258 मे है जिसका इस विवादित प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। रैस्पोडेण्ट ने तहसीलदार को मुगालते मे रखकर अपने पक्ष में फैसला कराया है जो निरस्त होने योग्य।

जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है कि रामगोपाल पुत्र श्योलाल को साढे आठ बीघा जमीन सम्वत 2003 मे आवंटित हुई थी जिसके साबिक खसरा नम्बर 137, 138, 139, 142 थे इन्ही नम्बरो की बाबत जिनके हाल नम्बर 502, 503, 535 बने जिनका रकबा 48 ऐयर है इनकी बाबत रैस्पो० डालचंद वगैराह के नाम खरीददार गैरखातेदार दिखाया गया है तथा खसरा नम्बर 506/2258, 530, 531 जो कि रकबा 70 ऐयर का है इस रकबा की बाबत रैस्पो० डालचंद वगैराह ने खरीददार खातेदार दर्ज किया हुआ है। इस तथ्य से श्रीमान् को रोशन होगा कि कोई भी गैर खातेदारी की आराजी खरीद ही नही की जा सकती है। इसलिये रेवेन्यू रिकार्ड में इस तथ्य का अमल किस प्रकार से हो गया यह तथ्य रेवेन्यू विभाग की जालसाजी का परिचायक है। जिसके लिये प्रथक से श्रीमान् को शिकायत पेश की जावेगी तथा उक्त नम्बरान की आराजी को रामगोपाल पुत्र श्री श्योलाल को आवंटित शुदा बताया गया है तथा इन्ही नम्बरो को रैस्पो० खरीददार खातेदार तथा खरीददार गैरखातेदार दर्ज किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से न तो तथ्यात्मक व ना ही कानूनी रूप से मानने योग्य है। रैस्पो० जबरन रूप से अपीलाण्ट की 2 बीघा 19 बिस्वा आराजी को जबरन हडपना चाहते है जिसके लिये उन्होने राजस्व विभाग से साज बाज होकर तथा न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तहत को मुगालता मे फैसला करवा लिया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्टान पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत तहत तहसीलदार कम मैनेजिग ओफिसर तहसील अलवर का निर्णय दिनांक 16/05/13 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किये है कि अपीलांट की खातेदारी की एक आराजी खसरा नंबर 230 जिसके हालनंबर 506 रकबा 3 बीधा 10 बिस्वा जो कि ग्राम बहादरपुर पटटी कटला अलवर में स्थित है। इस आराजी का खातेदार काश्तकार अदालत ए.सी.एम. ने दिनाक 25–10–1969 को घोषित किया था। इस फैसले के आधार पर इंतकाल सं० 26 दिनांक 31–10–70 को अपीलांट के हक में दर्ज होने से रह गया, क्योंकि यह नंबर गैर–खातेदारी से खातेदार दर्ज करने से रह गया। दिनांक 20–01–92 को रेस्पो० सं० 1 ने इसी आराजी नंबर 230 को गुपचुप में बिना अपीलांट को सूचना दिए तहसीलदार अलवर से पटटा प्राप्त कर लिया। जिसकी जानकारी पटवारी से मिन अपीलांट को हुई तो उसने तहसीलदार अलवर के उक्त आदेश दिनाक 20–01–92 के विरूद्ध एक अपील संख्या 45/2000 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–03–94 को पेश कर दी। दिनांक 03–05–2000 को अपील श्रीमान के न्यायालय कलैक्टर कम सैटलमेन्ट कमीश्नर अलवर ने अपील खारिज कर दी। दिनांक 30–4–08 को उक्त अपील के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो स्वीकार करते हुए तहसीलदार अलवर तथा कलैक्टर कम सैटलमेन्ट कमिश्नर के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये अलवर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दी गई।

अब श्रीमान तहसीलदार के आदेश दिनाक 20–01–92 में अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय 11–02–76 का हवाला दिया गया है जिसमें खसरा नं0 227, 244 व 246 को वादीगण अर्थात रेस्पो० डालचंद के कब्जे में रहना लिखा गया है और इंतकाल सं0 26 दिनांक 10–04–1970 को निरस्त माना जाएगा। यह आदेश जरिये राजीनामा हुआ था। इस आदेश में खसरा नंबर 230 का कोई उल्लेख नही था। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 06–09–1991 को चंद्री अपीलांट के द्वारा 06–09–1991 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जाना बताया गया है परंतु यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मु. चंद्री के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है बल्कि रेस्पो० डालचंद ने ही चन्दरी के नाम से प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है और उस पर हस्ताक्षर साधुराम के कर दिए है जबकि उस समय चन्दरी जीवित थी उसके हस्ताक्षर नही करवाए गए और साधुराम के फर्जी हस्ताक्षर करके उक्त प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया जिसमें यह तथ्य दर्ज किया कि खसरा नंबर 230 का पटटा डालचंद रेस्पो० को नही दिया जावे। जबकि साधुराम जो अभी जीवित है उसके द्वारा इसतरह का कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार को कभी नही दिया था। इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई में अपीलांट चन्दरी देवी और डालचंद की इकतरफा करवा कर हल्का पटवारी से अपने पक्ष में रिर्पोट तैयार करवा ली गई जिसकी जानकारी अपीलांट को कभी नही हुई थी। न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें एस डी ओ कोर्ट का निर्णय दिनांक 11–02–76 के आदेश का सहारा लिया गया परन्तु जैसा कि उपर उललेख किया गया है कि एस डी ओ के आदेश दिनाक 11–02–76 में राजीनामा हुआ था जिसमें खसरा नंबर 230 का कोई जिक्र नही है अर्थात खसरा नंबर 230 पर कब्जा चन्दरी का ही रहा था।

मुकदमा की पूर्व हिस्ट्री इस प्रकार से है कि संवत 2020 का साबिक खसरा नंबर 142 जो 9 बीधा 8 बिस्वा का रकबा था इसमें से साढे तीन बीधा रामगोपाल को अलोट हुई बताते है तथा वादीगण के पिता बुद्वा राम पुत्र से रामनारायण को सं0 2013 से 2017 में इसी खसरा नबर 142 का शेष 5 बीधा 1 बिस्वा अलोट हुई थी। अब खसरा नबर 142 का विश्लेषण करना आवश्यक होगा जो इस प्रकार से है जो संवत 2020 का साबिक खसरा नबर है तथा 2020 काहाल खसरा नंबर 230 है जिसको अब साबिक बताया जा रहा है। खसरा नंबर 142 के हाल नंबर बने 227 रकबा 2 बिस्वा, 229 रकबा 2 बिस्वा, 244 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा तथा 246 रकबा 1 बीधा 13 बिस्वा अपीलांट के पक्ष में इसी खसरा नबर 142 का नं0 237 के रकबा 2 बीधा 1 बिस्वा ही दर्ज हुआ जबकि 142 जो 5

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बीधा होनी चाहिए अर्थात शेष 2 बीधा 19 बिस्वा का पटटा रेस्पो० डालचंद ने गलत रूप से ले लिया है। मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में पेश है। रेस्पो० ने खसरा नबर 230 की डिकी की दुरूस्ती का एक दावा उपखंड अधिकारी की कोर्ट में सन 1972 में पेश किया था जिसमें रेस्पो० ने कहा कि खसरा नंबर 230, 244, 246, 227 के उसके पिता बहैसियत खातेदार थे जबकि संवत 2013 से 2017 में जमाबंदी खसरा नंबर 142 टोडर वल्द पेमाराम बकाश्त रामगोपाल लिखा हुआ है जबकि पेमा राम के टोडर नाम का कोई लडका नही है। पेमाराम का लडका हीरालाल था और हीरालाल के एक ही लडका तेजाराम था जो लाऔलाद फौत हुआ था। उपरोक्त 2013 में 2017 की जमाबंदी में रामगोपाल को काश्त कर्ता बताया है उसको यह जमीन अलोट नही हुई थी जबकि रेस्पो० गेरखातेदार पटटेदार बताया है गेरखातेदारी कारिकार्ड आज तक पेश नही किया गया है जबकि खातेदार थे तो अब पटटा लिये जाने की क्या आवश्यकता थी। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में खसरा नंबर 230 का राजीनामा नही था ओर दावा दुरूस्ती का रेस्पो० का था यदि उनकी अरिजी थी तो खसरा नंबर 230 के बारे में क्यो राजीनामा नही किया।

खसरा नंबर 244 246 और 227 पूर्व में इन नंबरों के बारे में राजीनामा हुआ जबकि उपरोक्त नंबर पुराने थे फिर पटटा लेते समय उपरोक्त नंबर को खरीदार खातेदार बताया गया है और हमारे खसरा नंबर 230 का पटटा ले लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि खरीददार खातेदार नही लिखवाया तो उसका रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ज्यादा हो जाता और उसे पटटा नही मिलता। खसरा नंबर 244, 246, 247 का जो हमने राजीनामा में दिये थे उनका इंतकाल सं0 742 सन 1987 की डिकी चढवाया गया। इंतकाल नंबर 742 का हवाला देते हुये संवत 2043 में दर्ज है जिसमें खरीदार खातेदार का अंकन नही है तथा संवत 2043 की जमाबंदी जिसमें खरीदार खातेदार का अंकन नही है। जबकि संवत 2047 में उक्त इंतकाल नंबर 742 का पुनः हवाला देते हुये उपरोक्त खसरा नंबर का इंतकाल दर्ज करवाया गया जिसमें खरीदार खातेदार का अंकन दर्ज किया गया वो गलत है जिसकी दोनो रंगीन फोटो कापी पेश है। इस प्रकार उक्त तथ्यो से स्पष्ट हो जायेगा किरेस्पा० बहुत ही चालाकी से रेवेन्यु रिकार्ड में पटवारी हल्का से मिल्लत करके हेराफेरी की है कभी विवादित आराजी को खरीददार खातेदार बताता है कभी इसी आराजी को अलोटशुदा बताता है। रेस्पो० से खरीदार खातेदार की बाबत पूछा जावे कि उसने उक्त विवादित आराजी किस व्यक्ति से कब और कितने में खरीद की थी और उसकी रजिस्टरी कहां है। इस प्रश्न का रेस्पो० नेआज तक कभी कोई जवाब नही दिया है। रेसपा० की इसी बेईमानी और चालाकी के आधार पर तैयार किये गये रिकार्ड के लिए रेस्पो० ने फर्जी पटटा लिए जाने के लिए एसीबी में भी शिकायत की हुई है जिसकी उपखंड अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है जिस पर कार्यवाही जारी है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर की जाकर पटटा रेस्पो० निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा बहस में कथन किया कि पेमाराम के पुत्र का नाम हीरालाल है, टोडर नाम नहीं है पुरानी लिखावट गोर से पढने पर हीरालाल ही नजर आता है। खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 कोई रिकॉर्ड ऑफ राईट नहीं। रामगोपाल काबिज काश्त दर्ज है। रामगोपाल संवत 2009 से काबिज रहकर विवादित आराजी पर काश्त करता रहा उसके मरने के पश्चात उसका पुत्र डालचंद काश्त करता रहा जिसे सही तरीके से पट्टा जारी किया गया। अपीलान्ट को पत्रावली तहसीलदार अलवर को रिमांड करने पर काफी अवसर दस्तावेजात प्रस्तुत करने के लिए दिये गये परंतु अपीलान्ट ने जानबूझकर न्यायालय तहत में आवश्यक दस्तावेजात पेश नहीं किये। पूर्व में मुकदमा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 30.04.2008 को तहसीलदार अलवर को रिमांड किया गया था जहां पर सन 2009 से सन 2013 तक कार्यवाही चली जिसमें अपीलान्ट को काफी सुनवाई व दस्तावेजात पेश करने का अवसर दिया परंतु जानबूझकर दस्तावेज पेश नही किये जिस कारण तहसीलदार अलवर द्वारा तथ्यों की जांच कर व मौका मुआवना कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। जिस कारण अपील अपीलान्ट मय खर्चा निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य आधार ए.सी. एम. न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.1969 है, जिसके द्वारा उनकी माता मु. चंद्री को खसरा नं. 230 का खातेदार घोषित किया गया था। अपीलार्थी का तर्क है कि इस निर्णय की पालना में इंतकाल नं. 26 दिनांक 31.10.1970 स्वीकृत हुआ। दूसरी ओर, रेस्पोंडेंट का आधार तहसीलदार द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.01.1992 और एस.डी.ओ. न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.1976 है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्ष 1976 का राजीनामा केवल खसरा नं. 227, 244 और 246 तक सीमित था। यदि एस.डी.ओ. के 1976 के निर्णय में खसरा नं. 230 का उल्लेख नहीं था, तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उस निर्णय को खसरा नं. 230 पर लागू करना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। एक सक्षम न्यायालय की डिक्री (1969) जो कि गुण–दोष के आधार पर पारित हुई थी, उसे बाद की किसी प्रशासनिक कार्यवाही या पट्टे द्वारा निरस्त नहीं माना जा सकता, जब तक कि उस डिक्री को किसी सक्षम अपील में अपास्त न किया गया हो। रेस्पोंडेंट पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि 1969 का निर्णय कभी निरस्त हुआ था।

रेस्पोंडेंट के पक्ष में दिनांक 20.01.1992 को पट्टा जारी किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि यह कार्यवाही उनकी पीठ पीछे हुई और साधूराम के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया। हालांकि फर्जी हस्ताक्षर का बिंदु साक्ष्य का विषय है, परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि भूमि पहले से ही 1969 में किसी के नाम खातेदारी में घोषित हो चुकी थी, तो उसे 'सिवायचक' या 'बिलानाम' मानकर पुनः पट्टा जारी करना अधिकारिता से परे है। इसके अतिरिक्त, रेस्पोंडेंट के पिता को आवंटित रकबे (3.5 बीघा) के मुकाबले अधिक रकबा (6 बीघा 11 बिस्वा) का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना और अपीलार्थी का रकबा कम होना, प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड में गंभीर विसंगति को दर्शाता है।

राजस्व अपील अधिकारी के पूर्व आदेश दिनांक 30.04.2008 द्वारा पत्रावली रिमांड की गई थी ताकि पुराने रिकॉर्ड (विशेषकर 1969 की डिक्री और 1976 के राजीनामे) का मिलान किया जा सके। विद्वान तहसीलदार ने अपने आक्षेपित निर्णय 16.05.2013 में 1976 के राजीनामे का हवाला तो दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि जब राजीनामे में खसरा नं. 230 नहीं था, तो पट्टा किस आधार पर वैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध ए.सी.एम. कोर्ट के निर्णय दिनांक 25.10.1969 और जमाबंदी संवत 2013 से 2017 की प्रविष्टियों की सही व्याख्या नहीं की है। जब खसरा नं. 230 हाल खसरा नंबर 506 के संबंध में 1969 में न्यायिक घोषणा हो चुकी थी, तो उसे नजरअंदाज कर जारी किया गया पट्टा दिनांक 20.01.1992 स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय विद्वान तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। रेस्पोंडेंट (डालचन्द) के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.01.1992 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)